भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी अनुच्छेद

सुरतनभाई मानसिंगभाई वसावा
पीएच.डी. शोधार्थी
हिंदी विभाग, गूजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। भारतीय संविधान समिति की एक बैठक 14 सितबंर 1919 को हुई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी। भारतीय संविधान में राजभाषा से संबंधित अनुच्छेदों को हम इस प्रकार देख सकते हैं-

संघ की राजभाषा (OFFICIAL LANGUAGE OF THE UNION)

343 OFFICIAL LANGUAGE OF THE UNION –(1) "THE OFFICIAL LANGUAGE OF THE UNION SHALL BE HINDI IN DEVANGARI SCRIPT. THE FORM OF NUMERALS TO BE USED FOR THE OFFICIAL PURPOSES OF THE UNION SHALL BE THE INTERNATIONAL FORM OF INDIAN NUMERALS" अर्थात- संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

(2) NATWITHSTANDING ANYTHING IN CLAUSE (1), " FOR A PERIOD OF FIFTEEN YEARS FROM THE COMMENCEMENT OF THIS CONSTITUTION, THE ENGLISH LANGUAGE SHALL CONTINUE TO BE USED FOR ALL THE OFFICIAL PURPOSES OF THE UNION FOR WHICH IT WAS BEING USED IMMEDIATELY BETORE SUCH COMMENCEMENT." अर्थात खण्ड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से पन्द्रह वर्ष की कालावधि के लिए संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिये अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिनके लिए ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले वह प्रयोग की जाती थी।

"PROVIDED THAT THE PRESIDENT MAY, DURING THE SAID PERIOD, BY ORDER AUTHORISE THE USE OF THE HINDI LANGUAGE IN ADDITION TO THE ENGLISH LANGUAGE AND OF THE DEVANGARI FORM OF NUMERALS IN ADDITION TO THE INTERNATIONAL FORM OF INDIAN NUMERALS TOR ANY OF THE OFFICIAL PURPOSES OF THE UNION." अर्थात परंतु राष्ट्रपति उक्त कालावधि में, आदेश द्वारा, संघ के राजकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ हिंदी भाषा का तथा भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के साथ-साथ देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

(3) NAWITHSTANDING ANYTHING IN THIS ARTICLE, PARLIAMENT MAY BY LAW PROVIDE FOR THE USE, AFTER THE SAID PERIOD OF FIFTEEN YEARS अर्थात इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद विधि द्वारा पंद्रह साल की कालावधि के पश्चात –

(A) THE ENGLISH LANGUAGE, OR अर्थात अंग्रेजी भाषा का; अथवा

(B) THE DEVANAGRI FORM OF UNMERALS, FOR SUCH PURPOSES AS MAY BE SPECIFIED IN LAW. अर्थात अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयाग उपबंधित कर सकेगी जैसे विधि में उल्लिखित हो।

संविधान के अनुच्छेद 343(1) में व्यवस्था की गई है कि "देवनागरी लिपि में लिखी जानेवाली हिंदी संध की राजभाषा होगी और सरकारी कामकाज में भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूपों का प्रयोग होगा।"

"अनुच्छेद 344 (1) इसके अनुसार राष्ट्रपति इस संविधान के प्रयोग से पाँच वर्ष की समाप्ति पर, तथा तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति पर, आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिसे कि राष्ट्रपति नियुक्त करे और आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के भी आदेश पारिभाषित करेगा।"

"अनुच्छेद 344 (4) तीस सदस्यों की एक समिति गठित की जाएगी जिनमें से बीस लोकसभा के सदस्य होंगे तथा दस राज्यसभा के सदस्य होंगे जो कि क्रमश: लोकसभा के सदस्यों तथा राज्य सभा के सदस्यों द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।"

"अनुच्छेद 345 राज्यों के विधान मंडल उस राज्य में प्रयुक्त किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अंगीकार कर सकते हैं।" बैंक चूँकि भारत सरकार के ही उपक्रम हैं, अत: यही नीति बैंकों की भी राजभाषा नीति है।भारत की स्वाधीनता (15 अगस्त, 1947 ई.), से पहले हिंदी में राजभाषा शब्द का प्रयोग प्राय: नहीं मिलता। सबसे पहले सन् 1949 ई., में श्री राजगोपालाचारी ने कहा था कि "भारतीय संविधान सभा में 'नेशनल लैंग्वेज'(NATIONAL LANGUAGE) के समांतर 'स्टेट लैंग्वेज'(STATE LANGUAGE) में अंतर रहे और दोनों के स्वरूप को अलगानेवाली विभेदक रेखा को समझा जा सके। और भारतीय संविधान सभा की कार्रवाई के लिए बताया गया है कि"हिंदी- प्रारूप में 'स्टेट लैंग्वेज'(STATE LANGUAGE) के स्थान पर 'ऑफिशियल

लैंग्वेज'(OFFICIAL LANGUAGE) शब्द का प्रयोग अधिक उपयुक्त समझा गया और ऑफिशियल लैंग्वेज का हिंदी अनुवाद 'राजभाषा' ही किया गया। (सरकारी या कार्यालयी भाषा नहीं)। इस परिप्रेक्ष्य में 'राजभाषा' शब्द का तात्पर्य है (क) राजा (शासक) अथवा राज्य (सरकार) द्वारा प्राधिकृत भाषा। (ख) संविधान द्वारा सरकारी कामकाज, प्रशासन, संसद और विधान- मंडलों तथा न्यायिक कार्यकलाप के लिए स्वीकृत भाषा।"

राजभाषा विषयक संविधान का यह 17वाँ भाग चार अध्यायों में विभक्त है। पहला अध्याय (अनुच्छेद 343 व 344) संघ की राजभाषा से संबंधित है। दूसरा अध्याय (अनुच्छेद 345 से 347) प्रादेशिक भाषाओं के बारे में है। तीसरा अध्याय (अनुच्छेद 348 व 349) सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों आदि की भाषा से ताल्लुक रखता है और चौथा अध्याय (अनुच्छेद 350 व 351) में भाषा संबंधी विशेष निर्देश दिए गए हैं। इनके अलावा, अनुच्छेद 120 एवं 210 में क्रमश: संसद एवं विधानमंडलों में प्रयुक्त होनेवाली भाषा के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। इनमें से हमारा विचारणीय विषय मुख्यत: संघ की राजभाषा है। बोलनेवालों की संख्या अधिक होने और अन्य भाषाओं की तुलना में हिंदी प्रदेश के बाहर भी अधिक समझे जाने के कारण स्वतंत्रता आंदोलन के साथ-साथ भारत में यह जनमत बनता गया कि "हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। कांग्रेस ने अपने 39 वें अधिवेशन में इस आशय का प्रस्ताव भी पारित कर दिया कि हिंदुस्तानी भारत की राष्ट्रभाषा है।" स्वतंत्रता के बाद जब इस बात की और ध्यान गया कि यहां की सभी भाषाएँ राष्ट्र की ही हैं तो पूरे भारत के लिए स्वीकृत होनेवाली भाषा को 'राष्ट्रभाषा' के स्थान पर 'राजभाषा' कहना उचित लगा – जो भाषा जो राजकाज के काम आए। संविधान–सभा में राजभाषा के नाम के विषय में भी विचार हुआ कि चयन 'हिंदुस्तानी' तथा 'हिंदी' में से करना था। अधिसंख्य लोगों का सोचना था कि पाकिस्तान न बना होता तो भाषा का नाम 'हिंदुस्तानी' होता, किंतु उसके बन जाने के बाद 'हिंदुस्तानी' नाम का कोई औचित्य नहीं है। इसीलिए राजभाषा को 'हिंदी' कहा गया।

कुछ लोगों की यह धारणा थी कि खासकर हमारे कुछ दक्षिण भारतीय भाई ऐसा मानते हैं कि "संविधान–सभा ने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने का निर्णय मात्र एक मत-वह भी अध्यक्ष के मत की अधिकता से किया था। लेकिन यह धारणा तथ्य के बिलकुल विपरीत है। राष्ट्रीय समाचारपत्रों- जैसे 12 और 29 अगस्त, 1949 के हिंदू और उन्ही तारीखों के हिंदुस्तान टाइम्स के अकों में छपी इस विषयक निर्णयों की बात में तो कोई संदेह ही नहीं था कि हिंदी या हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय दर्जा दिया जाएगा। हिंदी नाम विषयक निर्णय भी संविधान–सभा में जुलाई 1947 में ही भारी बहुमत से लिया

जा चुका था। केवल एक मत की अधिकतावाली कहानी का वास्तविक संबंध कांग्रेस संसदीय दल की 26 अगस्त, 1949 को हुई बैठक से था।

जो यह तय करने के लिए बुलाई गई थी कि राजभाषा हिंदी में देवनागरी अकों का प्रयोग किया जाए या भारतीय अकों के अंतर्राष्ट्रीय रूपों का। किस भाषा को राष्ट्रभाषा का स्थान दिया जाए। इस बात से तो इस निर्णय का कोई संबंध ही नहीं।जसपालराय कपूर जिन्होंने भाषा समस्या में खास दिलचस्पी ली थी एवं उन्होंने बताया है कि "यह तो सर्वसम्मत बात थी कि हिंदी केंद्र की राजभाषा हो। संविधान-सभा की बैठक में ऐसा कोई अवसर नहीं आया, जबकि इस प्रश्न पर मतगणना की आवश्यकता अनुभव हुई हो। जिस बात पर मत लिए गए और जिस पर तीव्र मत-विभाजन भी रहा, वह अकों के संबंध में थी।"

अत:इस प्रकारनिष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि राजभाषा के संबंध में संविधान-सभा में हुई तमाम गर्मागर्मी, वादविवाद और बहसों का ताल्लुक इसी मुद्दे से रहा। संविधान सभा की 'प्रारूपण समिति' के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर का यह कथन कि "संविधान का कोई भी अनुच्छेद इतना विवादास्पद साबित नहीं हुआ, जितना राजभाषा हिंदी से संबंध अनुच्छेद, अन्य किसी अनुच्छेद का इतना विरोध नहीं हुआ और न ही किसी अन्य अनुच्छेद ने इतनी गर्मी पैदा की" को भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए।

राजभाषा के संबंध में संविधान – सभा द्वारा लिए गए निर्णयों का संविधान के 17 वें भाग में अनुच्छेद 343 से 351 तक शामिल किया गया। संविधान सभा ने इन अनुच्छेदों को अंतिम रूप से 14 सितंबर, 1949 को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की, जिसके उपलक्ष्य में हर वर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन अनुच्छेदों में किए गए प्रावधान एवं उनके अनुपालन हेतु की गई व्यवस्थाएँ ही भारत सरकार की राजभाषा-नीति के रूप में जानी जाती हैं।

संदर्भ ग्रंथ

1. पांण्डेय, कैलाशनाथ, प्रयोजनमूलकहिंदीकीनयीभूमिका, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद -1, संस्करण, 2007
2. नागलक्ष्मी, सु., प्रयोजनमूलक हिंदी प्रांसगिकता एवं परिदृश्य, कुंजबीहारी पचौरी, जवाहर पुस्तकालय, मथुरा, (उ.प्र.), संस्करण, 2003
3. काशीनागरीप्रचारिणीपत्रिका., वाराणसी, संस्करण, 2004
4. सिंह, रामगोपाल, प्रयोजनमूलकहिंदी,पार्श्वप्रकाशन, अहमदाबाद, संस्करण, 2005